राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 264 / 2024
GCMS No. 2024 / 504

1. संतरा देवी पुत्री सुरजाराम पत्नी राजेन्द्र कुमार सैनी
2. मुन्नी पुत्री सुरजाराम पत्नी गजानन्द
   जाति माली निवासी ढाणी क्यारा तन् पपुरना तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज. हाल आबाद वार्ड नं. 11 बड़ा बाग की ढाणी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.

........वादीयागण

ब–ना–म

1. कुरड़ाराम पुत्र सुरजाराम
2. भूरी देवी पुत्री थानाराम
3. सोहन पुत्र थानाराम
4. ग्यारसीलाल पुत्र चन्दा
   जाति माली निवासी ढाणी क्यारा तन पपुरना तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना राज.
5. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पपुरना जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. राजस्थान सरकार जरिये भू स्वामी तहसीलदार, खेतड़ी।

........प्रतिवादी

वाद घोषणात्मक नाम दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व
धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वकील वादीयागण – श्री रामनरेश सिंह सैनी

:: निर्णय :: **दिनांक :–** 24/11/25

वादीयागण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम पपुरना तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075–76 के खाता सं. 185 के ख.नं. 2896 रकबा 0.69 है., ख.नं. 2897 रकबा 0.09 है., ख.नं. 2898 रकबा 0.23 है., ख.नं. 2899 रकबा 0.19 है., ख.नं. 2900 रकबा 0.11 है., ख.नं. 2901 रकबा 0.12 है., ख.नं. [illegible] रकबा 0.06 है. कुल किता 7 कुल रकबा 1.49 है. की वादियागण व प्रतिवादीगण एवं [illegible] दर्ज अन्य व्यक्ति संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादिया सं. 1 का सही नाम [illegible] देवी पुत्री सुरजाराम है लेकिन उक्त वर्णित भूमि में वादिया सं. 1 का नाम सहवन से [illegible] कर्मचारियों की भूल से नानड़ी देवी पुत्री सुरजाराम दर्ज कर दिया [illegible] जबकि वादिया सं. 1 [illegible] आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड बैंक खाता आदि में दर्ज है। तथा वादिया सं. 2 [illegible] सही नाम मुन्नी पुत्री सुरजाराम है लेकिन उक्त वर्णित भूमि में वादिया सं. 2 का नाम सहवन से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:57:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

या राजस्व कर्मचारियों की भूल से रज्जो देवी पुत्री सुरजाराम दर्ज कर दिया जो गलत कर दिया जबकि वादिया सं. 2 का सही नाम मुन्नी पुत्री सुरजाराम है जो वादिया सं. 2 के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता आदि में दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में वादियागण का नाम गलत दर्ज होने से वादियागण को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये वादियागण को अपना दुरूस्ती बाबत यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पपुरना तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075–78 के खाता सं. 185 के ख.नं. 2896 रकबा 0.69 है., ख.नं. 2897 रकबा 0.09 है., ख.नं. 2898 रकबा 0.23 है., ख.नं. 2899 रकबा 0.19 है., ख.नं. 2900 रकबा 0.11 है., ख. नं. 2901 रकबा 0.12 है., ख.नं. 2902 रकबा 0.06 है. कुल किता 7 कुल रकबा 1.49 है. में दर्ज वादिया सं. 1 का नाम नानड़ी देवी पुत्री सुरजाराम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर संतरा देवी पुत्री सुरजाराम तथा वादिया सं. 1 का नाम रज्जों देवी पुत्री सुरजाराम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर मुन्नी पुत्री सुरजाराम घोषित कियाज ाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 6 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2024/1430 दिनांक 19.11.2024 से बिन्दुवार जांच रिपोर्ट मय पटवारी हल्का पपुरना की मूल रिपोर्ट संलग्न कर भिजवाई है जो बाद शामिल पत्रावली की गई।

वादियागण की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में कार्यालय ग्राम पंचायत पपुरना का प्रमाण पत्र, नकल जमाबन्दी संवत् 2075–78 खाता सं. 185 ग्राम पपुरना, फोटो प्रति आधार कार्ड (संतरा देवी) जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक (संतरा देवी) तथा फोटो प्रति बैंक पास बुक, आधार कार्ड (मुन्नी), परिवार राशन कार्ड, जन आधार कार्ड आदि पेश किये तथा साक्ष्य में शपथ पत्र संतरा देवी पुत्री सुरजाराम (पी.डब्ल्यू.–1), मुन्नी पुत्री सुरजाराम (पी.डब्ल्यू.–2), कुरड़ाराम पुत्र सुरजाराम (पी.डब्ल्यू.–3) व भूरी देवी पुत्री थानाराम (पी.डब्ल्यू.–4) भी पेश किया।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं तहसीलदार, खेतड़ी व पटवारी हल्का पपुरना की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार, खेतड़ी के पत्र क्रमांकः 1430 दिनांक 19.11.2024 की जांच रिपोर्ट के द्वारा वादीया सं. 1 नानड़ी देवी पुत्री सुरजाराम के स्थान पर संतरा देवी पुत्री सुरजाराम व वादीया सं. 2 रज्जो देवी पुत्री सुरजाराम के स्थान पर मुन्नी देवी पुत्री सुरजाराम किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक वाद वादीयागण स्वीकार कर डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीयागण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम **पपुरना** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 185 में वादिया सं. 1 का वर्तमान में दर्ज नाम "**नानड़ी देवी पुत्री सुरजाराम**" के स्थान पर "**संतरा देवी पुत्री सुरजाराम**" एवं वादिया सं. 2 का वर्तमान में दर्ज नाम "**रज्जो देवी पुत्री सुरजाराम**" के स्थान पर "**मुन्नी देवी पुत्री सुरजाराम**" दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खाते में शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:57:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, खेतड़ी
सत्यमेव जयते

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

उनवान

संतरा देवी आदि

ब–ना–म

कुरड़ाराम आदि

दावा बाबत घोषणात्मक **नाम दुरूस्ती**

मुकदमा नम्बर :– **264 / 2024** **GCMS No. 2024 / 504**

निर्णय दिनांक :– २५।११।२५

वादीयागण की ओर से **श्री रामनरेश सिंह सैनी एडवोकेट** की व प्रतिवादी की ओर से **स्वयं** तहसीलदार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख २५।११।२५ को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादीयागण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम पपुरना तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 185 में वादिया सं. 1 का वर्तमान में दर्ज नाम "नानड़ी देवी पुत्री सुरजाराम" के स्थान पर "संतरा देवी पुत्री सुरजाराम" एवं वादिया सं. 2 का वर्तमान में दर्ज नाम "रज्जो देवी पुत्री सुरजाराम" के स्थान पर "मुन्नी देवी पुत्री सुरजाराम" दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खाते में शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख २५।११।२५ को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:57:33 IST
Reason: SelfAttested